



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08062020-219810
CG-DL-W-08062020-219810

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

अधिकाधिकारित
(संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन) द्वारा जारी
गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली, नई दिल्ली

सं. 15] नई दिल्ली, मई 31—जून 6, 2020, शनिवार / ज्येष्ठ 10—ज्येष्ठ 16, 1942
No. 15] NEW DELHI, MAY 31—JUNE 6, 2020, SATURDAY/ JYAISTHA 10—JYAISTHA 16, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 मई, 2020

सा.का.नि. 82.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक कमाण्डेंट (राजभाषा), समूह "क" पद की भर्ती नियम 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक कमाण्डेंट (राजभाषा) समूह "क" भर्ती (संशोधन) नियम, 2020 है।

- (2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक कमाण्डेंट (राजभाषा) समूह 'क' पद, भर्ती नियम 2015, (इसमें पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा; अर्थात्
- " 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. उपरोक्त नियम में, अनुसूची में,-
- (i) स्तंभ संख्या (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक एवं प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

| |
|---------------------------------|
| वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
| (4) |
| स्तर -10 (56100-177500 रुपये) |

- (ii) स्तंभ (11) में,
- (क) 'टिप्पण 1' को "टिप्पण " के रूप में पुनः संख्याकित अंकित किया जाएगा।
- (ख) 'टिप्पण 2' का लोप किया जाएगा होगा।

अधिप्रमाणित

(नित्यानंद राय)
गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
नयाँ दिल्ली

[सं.आर. IX-1/2020-मंत्रा.-डी.ए.-3-कार्मिक-II]

ललित कपूर, उप सचिव (कार्मिक-II)

टिप्पण:- अधिसूचना संख्या सा.का.नि.796 (अ) तारीख 20 अक्टूबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में ये मूल नियम प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 27th May, 2020

G.S.R. 82 .— In exercise of the powers conferred by section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Reserve Police Force, Assistant Commandant (Official Language), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2015 namely:-

- (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Assistant Commandant (Official Language), Group 'A' Post, Recruitment (Amendment) Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Central Reserve Police Force, Assistant Commandant (Official Language), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2015, (herein after referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.- The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."
- In the said rules, in the Schedule,-
 - in column (4), for the column heading and entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

| |
|--------------------------------|
| “Level in the pay matrix |
| (4) |
| Level-10 (Rs. 56100-177500).”; |

(ii) in column (11),-

- (A) ‘Note 1’ shall be renumbered as “Note”;
(B) ‘Note 2’ shall be omitted.

[No. R. IX.1/2020-Min-DA-3-PERS-II]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers.II)

Footnote : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 796 (F), dated the 20th October, 2015.